

भर्ती सूचना सह प्रशिक्षण केन्द्र,
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल (म0प्र0)

प्रति,

संचालक

खेल और युवा कल्याण, म.प्र.
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल



दिनांक: एवं बैच

अभ्यर्थी का नाम :

जन्म तिथि (मार्कशीट के अनुसार) :

पिता/माता/पति/अभिभावक का नाम :

श्रेणी :- () सामान्य () अपिबर्ग () अनुसूचित जाति () अनुसूचित जनजाति

निवास का पता :

फोन/मोबाईल नम्बर :ई मेल

शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण श्रेणी
1				
2				
3				
4				

शारीरिक मापदंड :-

अ. वजन (कि.ग्रा. में)

ब. ऊंचाई (से.मी.में)

स. सीने की माप (से.मी. में) केवल पुरुषों के लिए)

बिना फुलाएं

फुलाने पर

जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के प्रमाण पत्र :

एन.सी.सी./एन.एस.एस. की सदस्यता की जानकारी :

अन्य जानकारी जो अभ्यर्थी दे सके :

स्थान :

दिनांक : / /

संलग्न :-

(सभी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

नोट:-

1. आधी-अधूरी जानकारी में भरे फार्म पूर्णतः अमान्य होंगे।
2. फार्म में दी गई जानकारी संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. पूर्व परीक्षण (स्क्रीनिंग) हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा किराया एवं अन्य भत्ते की किसी को भी पात्रता नहीं होगी।
4. आवेदक दृष्टिदोष एवं आपोजिटिव रिपोर्ट होने पर प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।
5. समस्त प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजे जायेंगे। डाक में विलम्ब अथवा प्रवेश पत्र गुम जाने में अकादमी की जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

:: सहमति पत्र ::

मैं..... पुत्र/पुत्री निम्न बिंदुओं पर

अपनी सहमति प्रदान करता हूँ:-

1. भर्ती सूचना सह प्रशिक्षण केन्द्र में शारीरिक एवं लिखित प्रशिक्षण के समय कक्षा में पूर्ण अनुशासन एवं नियमों का पालन करूंगा।
2. खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त वर्तमान सुविधाओं से मैं संतुष्ट रहूंगा।
3. प्रशिक्षण अवधि के मध्य में प्रशिक्षण छोड़ने पर अथवा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण शुल्क वापिस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
4. अनुशासनहीनता करने पर तथा नियमों को तोड़ने पर निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी।
5. अनुशासनहीनता करने पर बिना सुनवाई का अवसर दिये निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी, जिसपर शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
6. प्रशिक्षण के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए खेल और युवा कल्याण विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशिक्षणार्थी की होगी।
7. विभाग रोजगार की गारंटी नहीं देता, लेकिन संस्था आपको रोजगार दिलाने में सहायक होगी।
8. प्रशिक्षण के दौरान कोई शारीरिक छति होती है, तो इसकी संपूर्ण चिकित्सकीय व्यय संबंधित प्रशिक्षणार्थी के द्वारा वहन किया जाएगा।
9. जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति शारीरिक या लिखित कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें प्रमाण पत्र पाने की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को खेल किट स्वयं ही लाना होगी।
11. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति शारीरिक परीक्षा में शत-प्रतिशत होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर